लालताधर तनय श्री जमुनाधर द्विवेदी, निवासी ग्राम बरौंहा तह. हनुमना जिला रीवां म.प्र. ...आवेदक/अपीलार्थी

बनाम (109)

..अनावेदक/प्रत्यर्थी

विद्वान आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण क्र0-29/अपील/00-01, आदेश दिनांक--02.08.04 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा-44(2) म.प्र. भू. रा. सं. - 1959 ई.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है-

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध है जो निरस्त योग्य है ।

02. यह कि अपी. को विचारण न्यायालय द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय के यहाँ भू. रा. सं. की धारा- 247(7) के तहत पटिया पत्थर के अवैध उत्खनन हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया नियत दिनांक को अपी. ने उपस्थित होकर उक्त कारण बताओं नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया तथा अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों का खण्डन किया असके पश्चात माननीय अपर जिलाध्यक्ष महोदय ने बिना विधि प्रक्रिया अपनायें तथा बिना उचित साक्ष्य लिये ही आदेश पारित करते हुये आरोपित अर्थदण्ड का दुगुना अर्थदण्ड अपीलार्थी के ऊपर अधिरोपित किया जिस आदेशसे परिवेदित होकर अपी. ने माननीय अपुक्त महोदय के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया, विचारोपरांत अधी. न्यायालय ने अपीलार्थी के द्वारा बताये गये बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुये अपी. कीअपील निरस्त कर दी, अधी. न्याया0 ~~का आदेश निरस्त किये जाने~~ नेअपना विनिश्चय मनमानी पूर्वक अवधारित किया है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

लालताधर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1420--दो/2004 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–06–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री शशि पाण्डे उपस्थित । उनके द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 247(7) के तहत इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया कि ग्राम लोढ़ी बनडोगवा स्थित आराजी खसरा क्र0 508 में आवेदक बिना किसी स्वीकृति के 2133 एम0टी0 पटिया पत्थर का अवैध उत्खनन करते हुये पाया गया तथा मौके पर उत्खनन कार्य में लगे हुये मजदूरों के बयान एवं उत्खनित पटिया व अन्य सामग्री को जप्त किया जाकर सुपुर्दगी में दिया गया । तत्पश्चात नक्शा पंचनामा एवं गड्ढों को नापाई आदि तैयार कर अपर कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित किया । अपर कलेक्टर न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.04.98 को अपील निरस्त की । इस आदेश से दुखी होकर आवेदक नें आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपील प्रस्तुत की । आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.04 को अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 20.10.2004 को प्रस्तुत की गई । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, अपीलकर्ता को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पत्थर पटिया के	

अवैध उत्खनन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नियत दिनांक को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया तथा अपने ऊपर लगे हुये आरोपों का खण्डन किया । उसके बावजूद अपर कलेक्टर ने बिना विधि प्रक्रिया अपनाये तथा बिना उचित साक्ष्य लिये ही आदेश पारित करते हुये आरोपित अर्थदण्ड का दोगुना अर्थदण्ड अपीलार्थी के ऊपर अधिरोपित किया है । इस आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी ने आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की । विचारोपरान्त आयुक्त रीवा द्वारा अपील निरस्त की गई ।

4/ अपीलार्थीकर्ता के अभिभाषक के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब उसके द्वारा दिया गया, किन्तु उसके बाद वह न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ । जबकि उसको न्यायालय के कार्यालय की जानकारी था । अपीलन्ट की अनुपस्थिति तथा अन्यय शासकीय गवाहों के बयान एवं खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखता हूँ । विचारोपरांत प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य